

न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या -43/2012, 44/2012 एवं 45/2012 जिला दौसा

1. मु. फूला देवी पुत्री नानगा जाति मीना, निवासी ग्रम अमराबाद हॉल वासी ग्रम खानपुर, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्त

बनाम

1. रामरतन पुत्र आनन्दा, जाति मीना, निवासी ग्रम अमराबाद, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. सरपंच ग्रम पंचायत अमराबाद, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पॉडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 22.8.2012
बाबत नामांतरकरण संख्या 427 दिनांक 22.12.2008 वाके ग्रम अमराबाद, ग्रम
पंचायत अमराबाद

अपील संख्या - 44/2012 जिला दौसा

1. मु. फूला देवी पुत्री नानगा जाति मीना, निवासी ग्रम अमराबाद हॉल वासी ग्रम खानपुर, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्त

बनाम

1. रामरतन पुत्र आनन्दा, जाति मीना, निवासी ग्रम अमराबाद, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. सरपंच ग्रम पंचायत अमराबाद, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पॉडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 22.8.2012
बाबत नामांतरकरण संख्या 83 दिनांक 22.12.2008 वाके ग्रम बाढ देहलाल ग्रम
पंचायत अमराबाद

अपील संख्या - 45/2012 जिला दौसा

1. मु. फूला देवी पुत्री नानगा जाति मीना, निवासी ग्रम अमराबाद हॉल वासी ग्रम खानपुर, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्त

बनाम

1. रामरतन पुत्र आनन्दा, जाति मीना, निवासी ग्रम अमराबाद, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. सरपंच ग्रम पंचायत अमराबाद, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पॉडेन्ट्स

जिला
अतिरिक्त
संभागीय
आयुक्त
जयपुर

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 22.8.2012
बाबत नामांतरकरण संख्या 429 दिनांक 22.12.2008 वाके ग्रम अमराबाद ग्रम
पंचायत अमराबाद

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्त श्री आलोक चौधरी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री इन्द्र सिंह शेखावत

निर्णय

दिनांक— 14.3.2018

यह द्वितीय तीनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत नामांतरकरण संख्या 427 ग्रम अमराबाद, 83 ग्रम बाढ देहलाल एवं 429 ग्रम अमराबाद दिनांक 22.12.2008 की अपीलों में उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के पृथक पृथक निर्णय दिनांक 22.8.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । तीनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन तीनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलियों पर रखी जावे । तीनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि ग्रम अमराबाद स्थित आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा , ग्रम बाढ देहलाल स्थित आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा में से हिस्सा 1/25 एवं ग्रम अमराबाद स्थित आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 11 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा , खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 199 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा में से हिस्सा 1/3 का खातेदार नानगा पुत्र आनन्दा कौम मीना था , जिसके फौत होने पर विरासत के पृथक पृथक नामांतरकरण संख्या 427 ग्रम अमराबाद, 83 ग्रम बाढ देहलाल एवं 429 ग्रम अमराबाद पटवारी हल्का द्वारा फूली देवी पुत्री नानगा अपीलान्त के नाम भरे गये जिन्हें ग्रम पंचायत अमराबाद द्वारा दिनांक 22.12.2008 को रेस्पोंडेन्ट रामरतन पुत्र आनन्दा मीणा के नाम स्वीकार किये गये । उक्त तीनों नामांतरकरणों से व्यथित होकर अपीलान्त मु. फूला देवी द्वारा पृथक पृथक तीन अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की , जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.8.2012 द्वारा निरस्त की गई । उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णयों के खिलाफ अपीलान्त मु. फूला देवी द्वारा पृथक पृथक तीन अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट दिनांक 22.8.2012 निरस्त कर मृतक नानगा की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्त के हक में तस्दीक करने के आदेश फरमाने की प्रार्थना की ।

तीनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील रेस्पोंडेन्ट ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की ।

अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम अमराबाद के नामांतरकरण संख्या 427,

ग्राम बाढ देहलाल के नामांतरकरण संख्या 83 एवं ग्राम अमराबाद के नामांतरकरण संख्या 429 स्थित भूमि का खातेदार अपीलार्थी मु. फूला देवी का पिता नानगा पुत्र आनन्दा मीना था जिसका देहान्त दिनांक 1.9.2008 को गया। मृतक नानगा के अपीलार्थी के अलावा कोई पुत्र संतान नहीं होने से पटवारी हल्का द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलार्थी फूला देवी के नाम भरे गये जिन्हें ग्राम पंचायत अमराबाद द्वारा अपीलान्त को बिना नोटिस दिये व सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही बिना किसी आधार के अपीलार्थी के पिता के भाई रेस्पोंडेन्ट रामरतन पुत्र आनन्दा के नाम स्वीकार किये गये हैं, जो त्रुटिपूर्ण व विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका कहना था कि अपीलान्त मृतक खातेदार नानगा की एक मात्र जायन्दा पुत्री हैं, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रथम श्रेणी की वारिस है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के नाम भरे गये नामांतरकरणों में भी अंकित किया था कि मृतक नानगा के पुत्र वारिस नहीं होकर एक पुत्री है। उनका कहना था कि मृतक नानगा ने न तो रेस्पोंडेन्ट रामरतन पुत्र आनन्दा को गोद लिया न पगडी दस्तूर रेस्पोंडेन्ट के हुआ। ग्राम पंचायत अमराबाद ने मृतक नानगा की जायन्दा पुत्री अपीलान्त को छोड़ कर बिना किसी आधार के रेस्पोंडेन्ट रामरतन के नाम नामांतरकरण तस्दीक किये हैं, जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों पर गौर किये बिना ही पारित कर विधि विरुद्ध नामांतरकरणों को उचित मानते हुये अपीलार्थी की अपीलें खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अतः तीनों अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर तीनों अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट दिनांक 22.8.2012 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 427, 83, 429 दिनांक 22.12.2008 निरस्त किये जाकर मृतक खातेदार नानगा की विरासत के नामांतरकरण उसकी एक मात्र जायन्दा पुत्री अपीलार्थी के नाम तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक खातेदार नानगा पुत्र आनन्दा के कोई पुत्र संतान नहीं होने से रेस्पोंडेन्ट रामरतन ही नानगा के पास रहता था तथा उनकी सेवा सुश्रुषा भी रेस्पोंडेन्ट ने ही की है। मृतक नानगा की पगडी का दस्तूर भी रेस्पोंडेन्ट रामरतन के हुआ था। उनका कहना था कि नानगा की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण ग्राम पंचायत अमराबाद द्वारा वारिसान की विधिवत जांच की जाकर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित कर नानगा के कोई पुत्र वारिस नहीं होने, सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार मृतक की पगडी का दस्तूर रामरतन पिता आनन्दा मीणा के होने से रामरतन रेस्पोंडेन्ट के नाम स्वीकार किये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्त की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा पक्षकारों को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जन जाति के व्यवहार के अनुसार अपनाई गई प्रक्रिया के तहत पारित किये गये निर्णय को उचित मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.8.2012 द्वारा खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे। उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 2006 पेज 464, आर.आर.सी. 2002 पेज 14, आर.आर.डी. 2002 पेज 31 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

दिनांक
व्यक्तिगत संज्ञा

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार नानगा की विरासत का है । अपीलान्त मृतक खातेदार नानगा की एकमात्र जायन्दा पुत्री होने से भूमि में हक चाहती है जबकि मृतक नानगा की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण ग्राम पंचायत अमराबाद द्वारा मृतक नानगा के कोई पुत्र वारिस नहीं होने से सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मृतक की पगडी का दस्तूर रामरतन पिता आनन्दा मीणा के नाम होने से पंचायत कौरम द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 2 के पैरा संख्या 11 के द्वारा नानगा पिता आनन्दा की बजाय रामरतन पिता आनन्दा के नाम स्वीकार किये हैं । प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलार्थी की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.8.2012 से अपीलों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जन जाति के व्यवहार के अनुसार अपनाई गई प्रक्रिया के तहत पारित किये गये निर्णय को उचित मानते हुये खारिज की है ।

विवादित भूमि के खातेदार मृतक नानगा के कोई पुत्र नहीं होने की स्थिति में उत्तराधिकार मृतक नानगा की पुत्री अपीलार्थी फूला का ही बनता है जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने के फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश से अपीलें खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । यह सही है कि प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता, लेकिन जन जाति की परम्परा लागू होती है तथा मीना जन जाति की परम्परा में पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्रियों को अधिकार प्राप्त होते हैं , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय एवं ग्राम पंचायत ने इस पर गौर नहीं किया । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय एवं ग्राम पंचायत ने उक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किये हैं जिन्हें बनाये नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में चूंकि अपीलार्थी मु. फूला देवी मृतक खातेदार नानगा की पुत्री होने के आधार पर जन जाति की परम्परा के अनुसार पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्री का पिता की सम्पत्ति में हक बनता है एवं उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता । चूंकि नानगा के कोई पुत्र नहीं था उस स्थिति में समाज की परम्परा के अनुसार उत्तराधिकार नानगा की पुत्री का ही बनता है । किसी व्यक्ति की पुत्री के होते हुये उसके भाईयों को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हो सकता । यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान समय में मीना जाति के किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पुत्र ओर विधवा पत्नि नहीं होने की स्थिति में उसकी पुत्रियों को नहीं होकर मृतक के भाईयों को होगा । ऐसी स्थिति में रेस्पॉन्डेंट रामरतन का उसके भाई मृतक खातेदार नानगा की भूमि में कोई विधिक उत्तराधिकार नहीं बनता । अतः तीनों अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप तीनों अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 22.8.2012 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 427 दिनांक 22.12.2008 वाके ग्राम अमराबाद, 83 दिनांक 22.12.2008 वाके ग्राम बाढ देहलाल एवं 429 दिनांक 22.12.2008 वाके ग्राम अमराबाद , ग्राम पंचायत अमराबाद निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में

5.

बाद जॉच मृतक खातेदार नानगा की विरासत के नामांतरकरण अपीलार्थी मु. फूला देवी पुत्री नानगा के नाम तस्दीक करने की कार्यवाही की जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर